**FIRST INFORMATION REPORT**
**Under Section 173 B.N.S.S.**
[प्रथम सूचना रिपोर्ट]
(अन्तर्गत धारा 173 बी.एन.एस.एस.)

1. Distict ACB DISTRICT P.S. Year
जिला थाना :- CPC Jaipur वर्ष :- 2025
2. FIR No. Date and Time Of FIR
(प्र.सू.रि.सं) 60/25 (एफआईआर की तिथि/समय) 19-03-2025

| S.No. | Act | Sections |
|---|---|---|
| 1 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 | 13(2) |
| 2 | भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (2018 के अधिनियम, संख्या 16 द्वारा संशोधित) | 13(1) (a) |

3. (a) Occurrence of offence (अपराध की घटना)
1 Day (दिन):- शुक्रवार Date From Date To
दिनांक 12.01.2024 (दिनांक से) 12-01-2024 (दिनांक तक) 22-02-2024
Time Period Time From Time To
(समय अवधि) 00 (समय से) - (समय तक) -

(b) Information received at PS. Date Time
(थाना जहां सूचना प्राप्त हुई) (दिनांक) (समय)

(c) General Diary Reference Entery No.264 Date&Time 2:57 P.M.
(रोजनामचा संदर्भ) (प्रविष्टि सं.) (दिनांक और समय)

4- Type Of Information (सूचना का प्रकार) लिखित

5 Place of Occurrence घटनास्थल:-

(a) Direction And distance from ps Beat No.
थाने से दिशा एवं दूरी - दक्षिण एवं 67 किमी बीट संख्या

(b) Address
पता:- परिसर वनखण्ड धनेश्वर मौजा कंवरपुरा रेंज डाबी जिला बून्दी

(ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम.....

6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :-
(क) नाम :- श्री रामकरण खैरवा
(ख) पिता का नाम :- भोलाराम
(ग) जन्म तिथि/उम्र :- 55
(घ) राष्ट्रीयता - भारतीय
(ड) पासपोर्ट संख्या.....जारी करने की तिथि.....जारी करने का स्थान
(च) व्यवसाय - तत्कालीन संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा
(छ) पता :- संभागीय मुख्य वन संरक्षक कोटा
(ज) दूरभाष नं. :- [redacted]

7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :-
1.संजय शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल, क्वार्टर नम्बर 9 महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाडा तत्कालीन क्षेत्रिय वन अधिकारी डाबी
2. मानमल रेंगर पुत्र श्री छीतर लाल रेंगर ग्राम खेडी, पो. सहण, वाया देई, तह0 नैनवां जिला बून्दी, तत्कालीन सहायक वनपाल डाबी

8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :- कोई नहीं

9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉं (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)

10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः - .....

11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो ).....

12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :-

महोदय, वाक्यात मामला हाजा इस प्रकार है कि दिनांक 12.01.2024 को वनखण्ड धनेश्वर मौजा कंवरपुरा रेंज डाबी जिला बून्दी में अवैध खनन के विरूद् पुलिस एवं खान विभाग की एक संयुक्त कार्यवाही की गई। उक्त कार्यवाही के दौरान खनिज विभाग के SME एवं AME (बून्दी) एव नायब तहसीलदार द्वारा सायं काल में डाबी रेंज वनखण्ड धनेश्वर के मौजा कंवरपुरा में अवैध खनन करते हुये 4 वाहनों ( 2 हायड्र केन, 1 डम्बर, 1 ट्रेक्टर, कंप्रेशर इत्यादि) को जप्त कर पुलिस नाका डाबी को सुपुर्द किये गये। मौके पर सयुंक्त दल के साथ वन विभाग का कोई कर्मचारी नही था। सयुंक्त दल द्वारा जप्ती किये जाने के पश्चात क्षेत्रिय वन अधिकारी श्री संजय शर्मा को दूरभाष पर संदेश दिया गया। जिस पर श्री मानमल रेंगर सहायक वनपाल मौके पर पहुंचे। AME खनिज विभाग, बून्दी द्वारा उक्त जप्त वाहन एवं मशीनरी को बिना खनिज विभाग अनुमति के ना छोडे जाने हेतु पाबन्द किया गया । अगले दिन दिनांक 13.01.2024 को राजस्व विभाग, वन विभाग, खनिज विभाग द्वारा उक्त अवैध खनन स्थल का साझा निरीक्षण किया गया तथा सम्पूर्ण ताजा अवैध खनन पिट का वन विभाग में पाया गया जिसका मौके पर नाप लिया गया। खनन पिट की लम्बाई 40 मीटर x चौडाई 20 मीटर तथा औसत गहराई 20 मीटर पाई गई। 40X20X5= 4000 cmt = 10800 मैट्रिक टन खनिज सेण्ड स्टोन का अवैध खनन वनभूमि पर पाये जाने पर वाहनो की जप्ती क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी को दी गई तथा वन अधिनियम के तहत कार्यवाही हेतु उन्हे पाबन्द किया गया । राजस्व, खनिज एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वे में दिनांक 12-13.01.2024 को ही अवैध खनन स्थल का वनभूमि में होना स्पष्ट हो जाने के बावजूद रेंजर डाबी द्वारा दिनांक 20.01.2024 (8 दिन बाद में) टाईम्स ऑफ इंडिया जयपुर में अवैध खनन की समाचार प्रकाशित होने के पश्चात विभागीय बेनामी FIR नम्बर 188 / 46 दर्ज की गई। राजस्व एवं वन विभाग द्वारा संयुक्त सर्वे करने के पश्चात उक्त अवैध खनन का वन सीमा में होना स्पष्ट हो जाने के बावजूद क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी द्वारा नायब तहसीलदार डाबी तालेडा बून्दी को दिनांक 07.02.2024 को कंवरपुरा में अवैध खनन स्थल के सम्बन्ध में पुनः लिखा गया । उप वन संरक्षक, बून्दी द्वारा उनके पत्र क्रमांक 785/ 06.02.2024 द्वारा RTO कोटा को पत्र लिखकर उक्त जप्त चारो वाहनो की जानकारी मांगी गई। जिस पर RTO कोटा द्वारा अपने पत्र कमांक 760 दिनांक 15.02.2024 द्वारा दोनो हायड्रा मशीन, कैन्स तथा ट्रैक्टर को अपंजिकृत बताया तथा डम्पर वाहन RJ20 GB 6300 को 96343 का टैक्स बाकी होना बताया तथा इन वाहनों को मुक्त करने से मना किया। राज्य सरकार के दिनांक 20.02.2024 को आदेश क्रमांक प012 (15) वन /2023-06273 जयपुर दिनांक 20.02.2024 तथा पीसीसीएफ के आदेश क्रमांक 774-810 द्वारा क्रमशः तत्कालीन उप वन संरक्षक श्री ओम प्रकाश जांगिड़ तथा तत्कालीन डाबी रेंजर श्री संजय शर्मा का अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया । दिनांक 21.02.2024 को उप वन संरक्षक, बून्दी का तरूण कुमार द्वारा चार्ज अधिग्रहण किया गया। अधिग्रहण किये जाने के पश्चात क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी को उक्त अवैध खनन में जप्त वाहनों को राजस्थान वाहन अधिनियम 1953 (संशोधित 2012 ) की धारा 52 के तहत राजसातकरण की कार्यवाही हेतु निर्देशित किया गया तथा केस डायरी तलब की गई। दिनांक 28.02.2024 एवं 05.03.2024 को पुनः स्मरण करवाये जाने पर वर्तमान क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी श्री हेमराज सिंह द्वारा अपने पत्रांक 101 /

04.03.2024 को आधी अधूरी केस डायरी प्रस्तुत की गई। जिसमें लगभग समस्त विवरण, कॉलम अपूर्ण तथा रिक्त पाये गये है । तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी श्री संजय शर्मा तथा वनभूमि पर अवैध खननकर्ताओं ( वन अपराधियों) के बीच आपसी सांठ गांठ एवं सहमति से खुद स्थानान्तरण हो जाने के बाद रेंजर ने जप्त वाहनों को मात्र 7.00 लाख रूपये लेकर मामले को खुर्दबुर्द करने की तथ्यात्मक रिपोर्ट प्रेषित की । इससे पूर्व दिनांक 26.10.2023 को भी बगैर केस डायरी के महज एक FIR काटकर उसी दिन रवन्ना संख्या 90 / 40 के जर्ये 2.00 लाख रूपये वन अपराधियों से आपसी सहमति से वसूल कर अवैध खनन करवाने में सहयोग दिया गया । दिनांक 12.01.2024 को तहसीलदार एवं AME द्वारा वनक्षेत्र में अवैध खनन पकडे जाने के बावजूद 8 दिन तक कोई अपराध प्ररकण दर्ज नही करना तथा दिनांक 20.01.2024 को वन अपराध दर्ज करने के बावजूद वन अपराधियों को लाभ देने नियत से कोई जांच आगे नही बढाना, केस डायरी तैयार नही करना ! AME बून्दी द्वारा जप्त वाहनों को बगैर उनकी अनुमति के मुक्त नही किये जाने तथा RTO कोटा के उपरोक्त पत्रों द्वारा वाहनों को नही छोड़े जाने आग्रह किये जाने के बावजूद रेंजर श्री संजय शर्मा द्वारा अपने अधिकार में ना होने के उपरातं भी दिनांक 20.02.2024 को स्थानान्तरण हो जाने के बाद अपने नाकेदार श्री मानमल रेगर, नाका प्रभारी धनेश्वर को निर्देशित कर दिनांक 20.02. 2024 को वन अपराधियों से 7.00 लाख रूपये प्राप्त हुये बगैर रवन्ना संख्या 90 / 41 दिनांक 20.02.2024 को काटना ( जबकि SBI डाबी में दिनांक 22.02.2024 को चालान द्वारा 7.00 लाख की राशि जमा करवाई गई ) उपरोक्त घटना क्रम से यह प्रतीत होता है कि : तत्कालीन रेंजर डाबी श्री संजय शर्मा एवं अवैध खननकर्ताओं (वन अपराधियों) के बीच वनभूमि कंवरपुरा ( वनखण्ड धनेश्वर ) में अवैध खनन कार्य आपसी सहमति एवं सांठ गांठ से चल रहा था, तथा विभाग की आंखों में धूल झौकने की नियत से समय-समय पर आपसी सहमति से तयशुदा राशि के रवन्ना कटवाये जा रहे थे । ज्ञातव्य है कि, तत्कालीन क्षेत्रीय वन अधिकारी, डाबी श्री संजय शर्मा ने अपने अधिकार क्षेत्रों से परे जाकर वन अपराधियों को अनैतिक लाभ पहुंचाया । अपने अधिकार क्षेत्र में ना होने के बावजूद जप्त मशीनों एवं वाहनों को जिनकी कीमत करोड़ों रूपये होने के बावजूद मात्र 7.00 लाख रूपये लेकर जप्त वाहनों वन अपराधियों के सुपुर्द करके वन अपराधियों को अनैतिक लाभ पहुंचाया गया तथा राज्य सरकार को करोडों रूपयो की हानि पहुंचाई गई। उल्लेखनीय है कि खनिज विभाग द्वारा वन संपदा 10800 मेट्रिक टन सेण्ड स्टोन ( वन संपदा) का अवैध खनन पाया गया जिसकी बाजार कीमत करोडो रूपये आंकी गई है। उपरोक्त दोनो अधिकारी जिन्हें वन विभाग ने वनो एवं वन्यजीवों का दायित्व सौंपा था, की निष्ठा वनो एवं वन्यजीवों, सरकार के प्रति ना होकर वन अपराधियों के प्रति परिलक्षित हुई है । पूर्व में भी दिनांक 09.06.2021 को संजय शर्मा को ए.पी.ओं. किया गया था। श्री संजय शर्मा का भीलवाडा में पदस्थापित रहते हुये डाबी का भी अतिरिक्त चार्ज रहा था। डाबी चार्ज की अवधि के दौरान अवैध खनन से जुडे किसी भी प्रकरण का न्यायालय में इस्तगासा श्री संजय शर्मा द्वारा नही किया गया। इससे स्पष्ट है कि अवैध खनन में इनकी मिलीभगत है और अपने प्रभाव का उपयोग कर अपनी पोस्टिंग को निरन्तर रखने का प्रयास करना तथा इस अवधि में किसी भी नामजद अपराधी के विरूद्व न्यायालय में चालान पेश नही करना इनकी निष्ठा को संदिग्ध बनाता है। अपने सम्पूर्ण कार्यकाल के दौरान इनके द्वारा विभाग की कार्यवाही के दौरान केवल मजदूरों का सामान जैसे फावडा, तगारी, सब्बल, टांकी, हथोडी इत्यादि ही जप्त किये गये है। 06 प्रकरणों में कोई जप्ती नही है, वाहनों की भी जप्ती इनके द्वारा नही की गई है। उपवन संरक्षक बून्दी के पदभार ग्रहण करने से पूर्व तुरत फुरत में बेक डेट में दोनो आरोपीगण द्वारा रवन्ना जारी कर प्रकरण को कमपाउंड कर

दिया। वन अपराधियों का राहत देने में इतनी जल्दबाजी दिखाई कि अवैध रूप से वन अपराध कमपाउंड की राषि 07 लाख रूपये की रसीद दिनांक 22.02.2024 को ही ट्रेजरी में जमा करा दी गई, किन्तु राजस्व वसूली हेतु सरकार द्वारा जारी किये जाने वाले दस्तावेज रवन्ना रसीद दिनांक 20.02.2024 को ही काट दी गई। दोनो ही प्रकरणो की तहकीकात उपरान्त केस डायरियां तैयार नही की गई और ना ही जांच की गई। मूलभूत दस्तावेज तक नही बनाये गये, मुल्जिमों के बयान मौका पंचनामा नजरी निरीक्षण आदि दस्तावेज बनाये बगैर दर्ज अपराधो का कमपाउंड कर वन अपराधियों का लाभ पहुंचाया गया। वन अपराध में जस वाहनों का सम्मिलित बाजार मूल्य लगभग एक करोड रूपये था, मगर इस तथ्य की छानबीन किये बगैर मात्र 07 लाख रूपये का एवजाना राशि ही वसूल कर राजकोष को लाखो की क्षति पहुंचाई। मालिकाना हक की भी विस्तृत जांच किये बगैर वाहनो को छोडा गया। जो तीन वाहन किसी के भी नाम से पंजीकृत नही थे, उन्हे एक व्यक्ति को बिना किसी आधार के सुपुर्द कर दिया, जिन वाहनो का टेक्स बकाया था, उन्हे भी बिना मालिकाना हक के छोडा जाना स्पष्ट तौर पर पद का दुर्पयोग है।

अतः आरोपी संजय शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल शर्मा जाति ब्राह्म्ण उम्र 59 साल तत्कालिन क्षेत्रिय वन अधिकारी डाबी जिला बून्दी व मानमल रेंगर तत्कालिन सहायक वनपाल रेंज डाबी जिला बून्दी के विरूद्ध जुर्म धारा 13(1)(a), 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशोधित 2018) में अभियोग पंजीबद्व करने हेतु बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्रीमान महानिदेशक भ्रनिब्यूरो जयपुर की सेवामें सादर प्रेषित है।

भवदीय,

(डॉ प्रेरणा शेखावत)
अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,
बून्दी

## कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट डॉ प्रेरणा शेखावत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बूंदी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 13(2),13(1)(ए) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988(यथा संशोधित 2018) में आरोपीगण 1. श्री संजय शर्मा पुत्र श्री भंवर लाल, क्वार्टर नम्बर 9, महात्मा गांधी अस्पताल भीलवाडा तत्कालीन क्षेत्रिय वन अधिकारी डाबी एवं 2. श्री मानमल रेंगर पुत्र श्री छीतर लाल रेंगर, ग्राम खेडी, पो. सहण, वाया देई, तहसील नैनवां जिला बून्दी, तत्कालीन सहायक वनपाल, बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 60/2025 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर अनुसंधान अधिकारी श्री प्रेमचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बारां को सुपुर्द कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता की गई है उक्त की रोजनामचा आम रपट 264 पर अंकित है।

(डॉ. प्यारे लाल शिवरान)
पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 331-36 दिनांकः- 19.03.2025

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. प्रधान मुख्य वन संरक्षक(वन बल प्रमुख) राजस्थान, जयपुर।
3. उप वन संरक्षक, बून्दी।
4. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।
6. अति. पुलिस अधीक्षक-परि.,भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(आर.न.7322/24)।

पुलिस अधीक्षक-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।